

# प्रदेश की प्रत्येक महिला को विकास की मुख्यधारा से जोड़ेंगे- भजनलाल

## मुख्यमंत्री ने मंगलवार को महिला प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया

जयपुर, 13 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षित और सशक्त महिलाएं समाज में सकारात्मक बदलाव की वाहक हैं। महिलाओं के आगे बढ़ने से ही प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की प्रत्येक महिला को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए

- इस कार्यक्रम के दौरान महिला प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की सराहना की तथा स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, महिला सुरक्षा शिक्षा व स्वास्थ्य पर अपने विचार रखे।

प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, जिससे इस आधी आबादी की सक्रिय भागीदारी से विकसित तथा उत्कृष्ट राजस्थान का निर्माण किया जा सकेगा। शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में महिला प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्त होने से

### राष्ट्रपति मुर्मू ने लोहड़ी की बधाई दी

नयी दिल्ली, 13 जनवरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फसलों के उत्सव लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू के मौकों पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये त्योहार भारत की समृद्ध कृषि विरासत और राष्ट्रीय एकता की भावना के प्रतीक हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक संदेश में कहा, "मैं लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू के शुभ अवसर पर भारत और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई देती हूँ।"

### खड़गे -राहुल ने लोहड़ी की बधाई दी

नयी दिल्ली, 13 जनवरी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोहड़ी के अवसर पर देशवासियों को मंगलवार को बधाई दी और सबसे जीवन में खुशहाली की कामना की। खरगे ने अपने बधाई संदेश में कहा, "लोहड़ी के शुभ अवसर पर सभी को बहुत-बहुत बधाई। आशा है हर्ष और उल्लास का यह त्योहार आपके जीवन में अपार खुशियां व समृद्धि लेकर आए।" गांधी ने कहा, "आप सभी को लोहड़ी की लख-लख बधाईयां। यह पावन त्योहार सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां, सुख और शांति लेकर आए।"

## चीन की कम्युनिस्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) से आया था। आर.एस.एस प्रमुख मोहन भागवत, जो यात्रा पर थे, बैठक में उपस्थित नहीं थे। कांग्रेस ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि जब "ऑपरेशन सिंदूर" जारी है और, पाकिस्तान के साथ गतिरोध के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी, इन हालात में भाजपा का सीपीसी से संपर्क करना गलत है। चीन ने जम्मू और कश्मीर के शक्साम घाटी सहित, भारतीय क्षेत्र पर भी अपना दावा किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने

## चुनाव आयुक्त को इम्युनिटी पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) प्रतिरक्षा पारदर्शिता को कमजोर करती है और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने वाली संवैधानिक संस्था पर जनता का भरोसा घटाती है। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लगभग सभी गैर-भाजपा दलों ने ईसीआई पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया है, खासकर मतदाता सूची के "स्पेशल इंटेसिव रिविजन" (एसआईआर) और कई राज्यों में मतदाताओं के नाम हटाने की नई रूपरेखा को लेकर। विपक्षी नेताओं का दावा है कि इन प्रक्रियाओं का असर कमजोर और अल्पसंख्यक मतदाताओं पर ज्यादा पड़ता है, हालांकि ईसीआई ने इन आरोपों को बार-बार खारिज किया है। तनाव तब और बढ़ गया, जब

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थिति की विडंबना को उजागर किया। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री अपने देशवासियों से चीन के पटाखे न खरीदने की अपील करते हैं, लेकिन खुद एक चीनी स्मार्ट मीटर, डोंगफांग, खरीदने जाते हैं। चीन उर्वरक और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की बिक्री रोकता है, लेकिन भारत सरकार कुछ नहीं करती। प्रधानमंत्री को यह फिक्र नहीं है कि गलवान में 20 भारतीय सैनिक मारे गए।" खेड़ा ने कहा, "विडंबना यह है कि चीन को 'लाल आंख' दिखाने के बजाय, भाजपा उसके लिए 'लाल कालीन' बिछा रही है।"

दिल्ली स्थित ईसीआई मुख्यालय में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसदों और चुनाव आयोग के अधिकारियों के बीच टकराव की नौबत आ गई, जिससे आयोग और विपक्षी दलों के बीच अविश्वास की गहरी खाई साफ नजर आई। पक्षपात के ऐसे ही आरोप हाल ही में संपन्न बिहार चुनावों के बाद लगे थे, जहां विपक्षी दलों ने आदर्श आचार संहिता को चयनात्मक रूप से लागू करने और प्रशासनिक दखल का आरोप लगाया।

यह प्रतिरक्षा कानून अब चुनावी सुधारों पर चल रही व्यापक बहस का अहम मुद्दा बन गया है। आलोचकों का कहना है कि चुनाव आयुक्तों के चयन वाली समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर, उसे पूरी तरह कार्यपालिका-प्रधान समिति बनाना पहले ही संस्थागत (चैम्स एंड बैलेंस)

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि यह कानून "असल में एक निश्चित स्तर से ऊपर के सरकारी कर्मचारियों को ही सुरक्षा देता है।" उन्होंने कहा, "ऊंचे स्तर के अधिकारी ही सिफारिश करते हैं या फैसले लेते हैं... एक खास वर्ग है, जिसके लिए ही पूर्व मंजूरी जरूरी कर दी गई है... यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि इसका कानून के उद्देश्य से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा यह वर्गीकरण की स्थिति पैदा करता है।"

नियंत्रण एवं संतुलन को कमजोर कर चुका है। आलोचकों का कहना है, इसके बाद आजीवन प्रतिरक्षा देने का कदम इस धारणा को और मजबूत करता है कि सरकार आयोग को किसी भी जांच-पड़ताल या संवीक्षा (स्कूटिनी) से बचाना चाहती है। एक वरिष्ठ विपक्षी नेता ने कहा, इससे जाने वाला संदेश चिंताजनक है। ऐसा लगता है, मानो लगातार सत्कारुद दल के पक्ष में फैसले देने के बदले में, सरकार चुनाव आयोग को कानूनी सुरक्षा दे रही हो।

लेकिन सरकारी सूत्र इन आरोपों को खारिज करते हुए कहते हैं कि यह प्रतिरक्षा संवैधानिक पदाधिकारियों को निरर्थक मुकदमों और पद छोड़ने के बाद की परेशानी से बचाने के लिए है। उनका कहना है कि यह कानून अन्य उच्च संवैधानिक पदों को मिलने वाली सुरक्षा

उन्होंने सांलिस्टर जनरल तुषार मेहता की दलील का भी जिक्र करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच की मंजूरी के बिना, सच हमेशा अधर में लटक रहेगा। उन्होंने पूछा, "एसजी मेहता ने कहा है कि आज के दौर में सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल है। तो क्या ऐसे सभी शिकायतों पर आगे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?" जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "अगर जांच के बाद फैसले लिए जाते हैं, तो इससे किसी भी तरह का नीति अवरोध नहीं होगा।"

के अनुरूप है और इससे आयोग की स्वतंत्रता पर कोई असर नहीं पड़ता। अब सुप्रीम कोर्ट से यह जांच करने की उम्मीद है कि इतनी व्यापक प्रतिरक्षा संवैधानिक जवाबदेही और कानून के सामने समानता के सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत की टिप्पणियों का कार्यपालिका और स्वतंत्र संस्थाओं के बीच के शक्ति संतुलन पर दूरगामी असर पड़ सकता है। जैसे-जैसे यह मुद्दा अदालत और संसद से बाहर निकलकर सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन रहा है, सरकार पर अपने रुख को सही ठहराने का दबाव बढ़ता जा रहा है। कई अहम राज्यों के चुनाव सामने हैं, ऐसे में इस कानूनी चुनौती का नतीजा न केवल चुनाव आयोग के भविष्य, बल्कि भारत की चुनावी प्रक्रिया को विषयसनीयता को भी प्रभावित कर सकता है।

## दिल्ली में जिम तथा व्यापारी के घर पर फायरिंग

नयी दिल्ली, 13 जनवरी। दो जगह पूर्वी दिल्ली के पश्चिमी विनोद नगर और पश्चिमी विहार में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से दिल्ली दहल उठी है। दोनों की जगह कई-कई राउंड फायरिंग की गई है। पश्चिमी विनोद नगर में व्यवसायी के घर के बाहर

- लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दोनों जगह फायरिंग की जिम्मेदारी ली।

और पश्चिमी विहार में स्थित एक जिम पर फायरिंग हुई है। शुरूआती जांच में पता लगा कि दोनों ही जगह फिरौती (वसूली) के लिए फायरिंग की गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दोनों जगह हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। संबंधित थाना पुलिस के साथ-साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल व अपराध शाखा की टीमें मामले की जांच कर रही है। शुरूआती जांच में पता लगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से फायरिंग करवाई गई है। इससे पुलिस महकमे में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।

## 20 जनवरी को नितिन नबीन भाजपा ने नए अध्यक्ष बन सकते हैं

सूत्रों के अनुसार वे 19 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे

नयी दिल्ली, 13 जनवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अगले हफ्ते पार्टी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। बिहार से पांच बार के विधायक नितिन नबीन को पिछले साल 14 दिसंबर को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सूत्रों के मुताबिक, नितिन नबीन 19 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे और 20 जनवरी को उनके निर्विरोध चुने जाने की संभावना है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, उनके निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि किसी अन्य नेता के मैदान में उतरने की संभावना बेहद कम है। भाजपा के सूत्र ने बताया, अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन 19 जनवरी को दाखिल किया जाएगा। सूत्रों के

- पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस अवसर पर भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों, पदाधिकारियों को नई दिल्ली में मौजूद रहने की हिदायत दी गई है।

अनुसार, यदि आवश्यकता पड़ी तो जेपी नड्डा के स्थान पर नए भाजपा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पार्टी मुख्यालय में आयोजित की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों, राष्ट्रीय पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं को इस मौके पर दिल्ली में मौजूद रहने को कहा गया है। पार्टी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के. लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा करेंगे। बताया गया है कि अध्यक्ष पद के लिए तीन सेट में नामांकन दाखिल किए जाएंगे। एक सेट पर 20 से अधिक

निर्वाचित प्रदेश अध्यक्षों के हस्ताक्षर होंगे।

दूसरे सेट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा के हस्ताक्षर होंगे। तीसरा सेट भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का होगा। यदि केवल एक ही नामांकन आता है, तो उसी दिन अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। इस बीच, भाजपा अध्यक्ष चुनाव की तैयारियों को लेकर जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक अहम बैठक भी हुई। बैठक में नितिन नबीन के साथ भी एल संतोष, सुनील बंसल, अरुण सिंह और तरुण चुच मौजूद थे।

## ‘विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से भरण पोषण का अधिकार है’

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यह अहम फैसला दिया कि पुत्र की विधवा आश्रित मानी जाएगी

नयी दिल्ली, 13 जनवरी। जस्टिस पंजक मिथल ने फैसले को आसान शब्दों में समझाते हुए कहा, मृतक हिंदू के सभी वारिसों की यह जिम्मेदारी है कि वे मृतक की संपत्ति से उसके आश्रितों का भरण-पोषण करें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया, मृतक हिंदू के पुत्र की कोई भी विधवा, अधिनियम की धारा 21(7) के तहत आश्रित मानी जाएगी और धारा 22 के तहत भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार रखती है। यह मामला मृतक महेन्द्र प्रसाद की संपत्ति से जुड़े पारिवारिक विवाद के कारण सामने आया। महेन्द्र प्रसाद का दिसंबर 2021 में निधन हो गया था। उनके पुत्रों में से एक रंजीत शर्मा का भी मार्च 2023 में निधन हो गया। रंजीत

- यह मामला मृतक महेन्द्र प्रसाद की संपत्ति से जुड़ा था। महेन्द्र प्रसाद का निधन 2021 में हुई था तथा उनके पुत्र रंजीत का निधन 2023 में हुआ था। यह मुकदमा रंजीत की विधवा गीता शर्मा ने दायर किया था।

शामिल है, जिनका पालन-पोषण करना मृतक का कानूनी और नैतिक कर्तव्य था।

## कश्मीर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अधिकारियों का कहना है कि यह अभ्यास हालिया आतंकवाद-रोधी कार्रवाहियों के बाद किया जा रहा है और इसका मकसद कट्टरपंथ को रोकना तथा धार्मिक स्थलों के दुरुपयोग को रोकना है। वहीं राजनीतिक नेताओं का तर्क है कि यह चुनिंदा तौर पर निशाना बनाने और धार्मिक मामलों में दखल देने जैसा है।

अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला कानूनी नहीं था। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह मानता है कि मृतक के पुत्र की विधवा की याचिका सुनवाई योग्य है और परिवार न्यायालय को इसे कानून के अनुसार जांचना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि पुत्र या अन्य कानूनी वारिसों की जिम्मेदारी है कि वे मृतक की संपत्ति से सभी आश्रितों का भरण-पोषण करें। इसमें वे सभी लोग



पर्यावरण संरक्षण



श्री भजनलाल शर्मा  
माननीय मुख्यमंत्री



श्री नरेन्द्र मोदी  
माननीय प्रधानमंत्री

## उड़ने दो परिंदों को आजादी से बचाओ इन्हें मांझे से

प्रातः 6 से 8 व सांय 5 से 7 बजे के बीच में पतंग न उड़ाएं




### चाइनीज / धातु से बने मांझे का पतंगबाजी में उपयोग नहीं करें

## पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान